<u>शीर्षक सत्यापन की प्रक्रिया</u>

चरण 1. आरएनआई कार्यलयी वेबसाइट www.rni.nic.in पर लॉग इन करें.

चरण 2. शीषर्क सत्यापन के लिए कृपया दिशा निर्देश हेतु "आरएनआई दिशा - निर्देश" को

ध्यान पूर्वक पढें.

चरण 3. वेबसाईट के मुख्य पृष्ठ पर ऑनलाईन शीषर्क आवेदन लिंक पर क्लिक करें.

चरण 4. ऑनलाईन अवेदन भरने के लिए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढें तथा आवेदन करें.

चरण 5. सभी आवश्यक कॉलम भरें (आवेदन भरते समय चालू मोबाइल संख्या तथा ई मेल पता अवश्य दिया जाये)

चरण 6. आवेदन जमा करें तथा विधिवत रुप से भरा हुआ आवेदन का प्रिंट लें.

आवेदन का पुन: प्रिंट लेने के लिए सृजित प्रिंट कोड नोट करें.

चरण 7. संबंधित अग्रेषण प्राधिकारी को आवेदन जमा करें.
(डीएम/डीसी/एसडीएम/डीसीपी/जेसीपी/सीएमएम इत्यादि)

- दिल्ली क्षेत्र में अग्रेषण प्राधिकारी डीसीपी होंगे.

चरण 8. संबंधित प्राधिकारी के अग्रेषण प्राधिकारी के उचित नाम, हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ संबंधित प्राधिकारी द्वारा आवेदन आर एन आई को अग्रेषित किया जायेगा.

- **संबंधित प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अग्रेषित हार्ड कॅापी की प्राप्ति पर ही आर एन आई आवेदन पर विचार करेगी.**
- आवेदक को यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य के संदर्भ के लिए प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा अग्रेषित आवेदन की एक प्रति रखें!

चरण 9. संबधिंत प्राधिकारी द्वारा अग्रेषित आवेदन की हार्ड कॉपी आर एन आई में प्राप्त पर आवेदक को आर एन आई संदर्भ संख्या (आवेदन संख्या) के माध्यम से उनके मोबाइल नम्बर तथा ई मेल आई डी के माध्यम द्वारा सूचित किया जाता है.

चरण 10. आवेदक संदर्भ संख्या को भविष्य के छान बीन के लिए सुरक्षित रखें.

चरण 11. आवेदक अपने आवेदन की स्थिति आरएनआई की वेबसाइट पर अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा दिये गये डी एम संख्या अथवा संदर्भ संख्या डालकर जांच कर सकते हैं.

चरण 12. आवेदक शीर्षक सत्यापन पत्र / शीर्षक अस्वीकृति पत्र / विसंगति पत्र आर एन आई की कार्यालय वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं.

- ❖ शीर्षक सत्यापन के बाद शीर्षक के डी-ब्लाकिंग/निरस्तीकरण से बचने के लिए आवेदक सत्यापन की तिथि से दो वर्ष के भीतर शीर्षक को अवश्य पंजीकृत करवा लें.
- ❖ पंजीकरण से पूर्व शीर्षक अहस्तवरणीय हैं.